Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

209-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025 (AGRAHAYANA 26, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 17th December, 2025

No. 34-HLA of 2025/75/28909.— The Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Amendment Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 34- HLA of 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Act, 2024.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Amendment Act, 2025. Short title.

2. In Explanation to clause (vii) of section 3 of the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Act, 2024 (hereinafter called the principal Act), for the words "in a calendar year", the words "during a period of one year contractual service" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 2 of 2025.

3. For sub-section (1) of section 5 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 5 of Haryana Act 2 of 2025.

"(1) The Guest faculty shall be entitled to such remuneration, as per the guidelines of Government. The consolidated monthly remuneration shall be increased with effect from the first day of January and first day of July every year corresponding to the increase in Dearness Allowance.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The act titled as **"The Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Act, 2024" was notified on 16.01.2025**. In this act, the benefit of security of service is admissible to those guest faculty members, who fulfil five years of service on or before 15th August, 2024. The guest faculties have requested an amendment in the Explanation of Section 3(vii) of the Haryana Technical Education Guest Faculty (Security of Service) Act, 2024 regarding the counting of 240 days during a year of their service instead of calendar year.

They have pointed out that otherwise, their service during the first calendar year of joining will not be counted if their date of joining is between the months of May and December. Similarly, the current calendar year of 2024 will also not be counted, because the number of days from 1st January, 2024 to the cut-off date 15th August, 2024 are only 227 days. As a result, their service does not meet the qualifying figure of 240 days during these years.

It has been observed that an amendment is also required in Clause 1 of Section 5 regarding benefit of Dearness Allowance (DA) granted to such guest faculty. The language of this clause is confusing, and it may have multiple interpretations. Therefore, it would be appropriate that Clause 1 of Section 5 may be amended as;

"The guest faculty may be entitled to such remuneration, as per the guidelines of the Govt. The consolidated monthly remuneration shall be increased with effect from the first day of January and first day of July every year, corresponding to the increase in Dearness Allowance"

The request of guest faculty is genuine. Therefore, taking cognizance of the request submitted by Guest Faculty Association, it would be appropriate that the above-mentioned two amendments may be made in "The Haryana Technical Education Guest Faculty (security of Service) Act, 2024".

Hence these amendments.

MAHIPAL DHANDA,
Higher Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 17th December, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 34 एच.एल. ए.

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक, 2025

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (vii) की व्याख्या में, "एक कैलेंडर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष की संविदात्मक सेवा की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

"(1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक के हक़दार होंगे। समेकित मासिक पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई से वृद्धि की जाएगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

"हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024" दिनांक 16.01.2025 को अधिसूचित किया गया। इस विधेयक के अंतर्गत सेवा की सुनिश्चितता का लाभ उन अतिथि संकाय सदस्यों को प्राप्त है, जिन्होंने 15 अगस्त, 2024 तक पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। अतिथि संकाय सदस्यों द्वारा धारा 3(VII) की व्याख्या में संशोधन की माँग की गई है, जिसमें एक वर्ष की सेवा के दौरान 240 कार्य दिवसों की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय किसी भी एक वर्ष की अवधि के आधार पर करने का प्रावधान हो।

यदि किसी फैकल्टी की नियुक्ति मई से दिसंबर के बीच हुई हो, तो पहले कैलेंडर वर्ष में 240 दिन पूरे न होने के कारण ऐसे अतिथि संकाय सेवा वर्ष की गणना में शामिल नहीं होते। इसी प्रकार, वर्ष 2024 में भी केवल 227 दिन 1 जनवरी से 15 अगस्त तक ही होते हैं, जिससे यह वर्ष भी अर्हता में नहीं गिना जाता। परिणामस्वरूप, उनकी सेवा आवश्यक 240 दिनों की गणना में नहीं आ पाती।

इसके अलावा विधेयक की धारा 5 के खंड (1) में संशोधन की आवश्यकता है, जो अतिथि संकाय को महँगाई भत्ते का लाभ देने से संबंधित है। वर्तमान प्रावधान की भाषा अस्पष्ट है और उसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। अतः इसे निम्न प्रकार से संशोधित किया जाना उपयुक्त होगा।

"अतिथि संकाय को, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, समेकित मासिक वेतन प्रदान किया जा सकता है। यह समेकित मासिक वेतन प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई से, महँगाई भत्ते में हुई वृद्धि के अनुसार, बढ़ाया जाएगा।"

अतिथि संकाय की प्रार्थना न्यायसंगत हैं। अतः अतिथि संकाय संघ द्वारा प्रस्तुत अनुरोध को संज्ञान में लेते हुए, उपरवर्णित दोनों संशोधनों "हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024" में किया जाना उचित होगा।

अतः, ये संशोधन प्रस्तावित हैं।

महीपाल ढांडा,
उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

———————

चण्डीगढ़:
दिनांक 17 दिसम्बर, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12288—H.V.S.—H.G.P., Pkl.